UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम

दिनांक :- 11.10.2024

थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ द्वारा जस्ट डायल एप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट के नाम पर फर्जी कुटरचित दस्तावेज तैयार कर साइबर फ्रॉड करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी क्राइम श्री रवीन्द्र नाथ राय व प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में साइबर अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-10/24 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 66 सी/66 डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित साइबर फ्रॉड करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

1. आशीष कुमार पुत्र नेकराम निवासी ग्राम नगला हूसा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 10.10.2024 को प्रतिबिम्ब/एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज साइबर शिकायतों से सम्बन्धित संदिग्ध मोबाइल नंबरों के सत्यापन व जांच के दौरान थाना अमृतपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुयी कि आशीष कुमार पुत्र नेकराम निवासी ग्राम नगला हूसा जोकि जस्ट डायल एप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट के नाम पर फर्जी कुटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों को व्हाट्सएप पर भेजता है व ट्रेडिंग के नाम पर अन्तर्जनपदीय व अन्तर्राज्यीय स्तर पर साइबर ठगी कर रहा है। उक्त सूचना पर साइबर क्राइम थाना फतेहगढ़ टीम द्वारा मुखविर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश देकर अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र नेकराम निवासी ग्राम नगला हूसा जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 10/24 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 66 सी/66 डी आईटी एक्ट बनाम 1. आशीष कुमार पुत्र नेकराम यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम नगला हूसा थाना अमृतपुर जनपद फर्रूखाबाद 2. बाइस्तबा गोविंद कश्यप पुत्र विनोद कश्यप 3. बाइस्तबा आकाश यादव पुत्र विपिन यादव 4. बाइस्तबा प्रदीप शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा 5. बाइस्तबा मोहित यादव पुत्र श्रीपाल सिंह 6. बाइस्तबा पवनीश यादव पुत्र वीरपाल सिंह व 7. बाइस्तबा सचिन सिंह पुत्र शिवराज सिंह समस्त निवासीगण नगला हूसा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त आशीष उपरोक्त ने पूछने पर अपने जुर्म की माँफी मांगते हुए बताया कि साहब कि मैं जस्ट डायल एप के माध्यम से लोगों के साथ जस्ट डायल की इन्क्वायरी में प्राप्त लोगों से व्हाट्सएप्प/मोबाइल पर सम्पर्क कर ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम पर मैं उन्हीं के बताये गये स्थान के पिकअप प्वाइंट पर गाड़ी भेजने को बोल कर क्यूआर कोड व यूपीआई के माध्यम से गोविन्द कश्पय द्वारा उपलब्ध कराये गये खातों में एडवांस में रूपये ले लेता हूँ तथा ग्राहको को फर्जी कूट रचित रसीद बना कर भेज कर साइबर ठगी करता हूँ। हम लोगों के ट्रांसपोर्ट व बिल बाउचर जीएसटी सभी फर्जी व कूट रचित है। इस काम को मेरे गांव के साथी के 1. सचिन सिंह 2. आकाश यादव 3. प्रदीप शर्मा 4. मोहित यादव 5. पवनीश यादव 6. गोविंद कश्यप समस्त निवासीगण नगला हूसा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ भी साथ मिल कर धोखाधड़ी व साइबर ठगी करते हैं तथा गोविन्द कश्यप मुझे व अन्य को साइबर ठगी करने के लिये फर्जी सिम व बैंक खातें उपलब्ध कराता है तथा बदले में खाते में आने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत काट कर मुझे बाकी रूपया दे देता है। बरामद 5340/- रूपयों के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह रूपया अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने ट्रासंपोर्ट के नाम पर जस्ट डायल द्वारा प्राप्त इन्क्वायरी से मनोज भड़गले महाराष्ट्र मोबाइल नंबर 82293xxxxx से कूट रचित दस्तावेजों को व्हाट्सएप पर भेज कर व फर्जी ट्रांसपोर्ट के नाम पर साइबर ठगी करके ठगे थे। 03 अदद सिम जो आपको मेरे पर्स से प्राप्त हुये है वह फर्जी है।

बरामदगी का विवरण:-

01. 02 अदद मोबाइल एन्ड्रॉयड

02. 5340/- रूपये नगद

03. 03 अदद डीएल

04. 03 अदद एटीएम

05. 01 IPPB कार्ड

06. 01 आधार कार्ड व 01 आधार कार्ड छायाप्रति

07. 03 अदद सिम

08. कूटरचित **GST** रजिस्ट्रेसन का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, बिल, बाउचर

09. **QR** कोड

बरामद/गिरफ्तार करने वाली साइबर क्राइम थाना पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक राघवेन्द्र तिवारी
2. उ0नि0 सुबोध यादव
3. का0 अरविन्द यादव
4. का0 दिपिन राठी
5. का0 कौटिल्य
6. का0 अंकित आर्य

मीडिया सेल फतेहगढ़।